

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में एस0सी0पी0 के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोट मार्ग के किमी. 13.00 नगर कोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग । (0.495 है0)

तुलनात्मक विवरण

प्रथम समरेखण	द्वितीय समरेखण
1. न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, तथा ग्रामवासी की मांग इसी समरेखन पर ही की जा रही है।	1. अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रामवासियों को इस समरेखन पर आपत्ति की जा रही है।
2. 199 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।	2. 325 के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
3. नाप भूमि 2.9256 है0 प्रभावित हो रहे हैं।	3. नाप भूमि 1.250 है0 प्रभावित हो रही है।
4. बेनाप भूमि 0.0180 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.477 है0 कुल 0.495 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।	4. बेनाप भूमि 1.500 है0 व वन पंचायत भूमि 0.590 अधिक प्रभावित हो रही है।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रमुख अधिकारी
अल्मोड़ा नगर प्रमाण अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण 1.825किमी. (0.495है०)।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण संख्या-2 हेयर पिन बैण्ड व अधिक वनभूमि आने अधिक लम्बाई की आवश्यकता होने एवं अधिक वृक्षों की संख्या आने के कारण निरस्त किया गया एवं समरेखण संख्या-1 कम वनभूमि प्रभावित होने, कम लम्बाई की आवश्यकता होने एवं इस भाग में पूर्व में वन विभाग द्वारा कुछ भाग में पहाड़ कटान का कार्य किया गया है। ग्रामीणों की सहमति होने के कारण उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा